

वकील लखन पत्तरी को
 हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
 प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक - 16/12/22

तारीख
 हुक्म


21-11-22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फौरन
 उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी
 तारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
 हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु
 दिनांक 5.12.22 को पेश हो।



5-12-22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फौरन
 उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी
 तारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में
 हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु
 दिनांक 12-12-22 को पेश हो।



रीकर

उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

12.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। पीठासीन अधिकारी

प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.07.2022 को पारित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.12.2017 को आदौराने वाद का निर्णय किया जाता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की निर्णित मूल पत्रावली मूल वादपत्र में हमफिता हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्त हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

